



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन, 1943 (श०)

संख्या-508 राँची, सोमवार,

4 अक्टूबर, 2021 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2021

संख्या- 1/स्था./श.स्था.नि.-20/2015/3099--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-20.3 के प्रावधान के आलोक में उक्त नियमावली को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- संक्षिप्त नाम:-** यह नियमावली 'झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2021' कही जायेगी।
- विस्तार:-** इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- प्रभाव की तिथि:-** यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

(क) झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-9.1 का प्रावधान निम्नवत है:-

आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी। आयु निर्धारण हेतु कट-ऑफ-डेट अधियाचना वर्ष की 01ली अगस्त को होगी।

उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

नियम-9.1 आयु सीमा:- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली स्नातक स्तर एवं स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पदों हेतु उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होगी।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली इण्टरमीडियट/डिप्लोमा स्तरीय पदों हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु न्यूनतम 18 वर्ष होगी।

आयु निर्धारण हेतु कट-ऑफ-डेट वही होगा, जो समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ख) झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-10.4 का प्रावधान निम्नवत है:-

उपर्युक्त कंडिका 10.3 के क्रम में मेधा सूची तैयार करने के दौरान यदि दो अथवा दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक समान हो तो उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को आधार मानकर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

इसके उपरांत भी यदि प्राप्तांक एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

नियम-10.4: मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में विचाराधीन पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् विचाराधीन पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

नगरपालिका सेवा संवर्ग अंतर्गत डिप्लोमा स्तरीय पदों के मेधा सूची तैयार करने में उपर्युक्त प्रावधान शिथिल रहेगा। डिप्लोमा स्तरीय पदों के मेधा सूची तैयार करने में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

(ग) झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 की अनुसूची में सम्मिलित वैसे मूल कोटि के सीधी भर्ती के पदों जिनपर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा नियुक्ति की जायेगी (डिप्लोमा स्तरीय सीधी भर्ती के पदों को छोड़कर), के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अर्हता में परन्तुक के रूप में निम्नवत अन्तःस्थापित किया जाता है:-

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।”

(घ) झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 की अनुसूची-(इ) गैर अभियंत्रण पद समूह के क्रम संख्या-2 स्ट्रीट लाईट इंस्पेक्टर हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/ अर्हता निम्नवत है:-

सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विद्युत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।

उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा/आई.टी.आई. उत्तीर्ण।

(ङ) झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 की अनुसूची-1 (ड.) लोक स्वास्थ्य संवर्ग के क्रम संख्या-1 सेनेटरी सुपरवाइजर हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अर्हता निम्नवत है:-

सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेनेटरी।

उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से **Post Graduate Diploma in Sanitary Inspector or Post Graduate Diploma in Health and Sanitation or Post Graduate Diploma in Water Sanitation and Hygiene.**

(च) झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 की अनुसूची-1 (ड.) लोक स्वास्थ्य संवर्ग के क्रम संख्या-2 सेनेटरी एण्ड फुड इंस्पेक्टर हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अर्हता निम्नवत है:-

सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फुड एण्ड हाइजिन।

उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से **Post Graduate Diploma in Water Sanitation and Hygiene or Post Graduate Diploma in Environmental Health and Hygiene or Post Graduate Diploma in Industrial Hygiene or Post Graduate Diploma in Hygiene, Diet and Nutrition.**

(छ) झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 की अनुसूची-1 (झ) भेटनरी संवर्ग के क्रम संख्या-2 भेटनरी ऑफिसर हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अर्हता निम्नवत है:-

सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक।

उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

सीधी भर्ती का पद। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से **Bachelor of Veterinary Science & Animal Husbandry.**

(ज) झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

3. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-28.09.2021 में मद संख्या-10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
